राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency

खालिद अरशद (बि०प्र०से०)
प्रशासी पदाधिकारी

पत्रांक-SHSB/HK/120/2017/ 1173

सेवा में,

अनिल कुमार,
सरकार के उप सचिव

पटना, दिनांक: 08 06.06.17

विषयः--अध्यक्ष, **शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार के कार्यालय संचालन हेतु आवर्ती व्यय के संबंध मे।**
प्रसंगः-- पत्रांक सं०स०--1 / विविध--13 / 2017--306(1) दिनांक 17.03.17

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में कहना है आपके पत्रांक-- सं०स०--1 / विविध--13 / 2017--306(1) दिनांक 17.03.17 के आलोक में माननीय न्यायमूर्ति, श्री अखिलेश चन्द्रा(सेवानिवृत) अध्यक्ष, शिक्षण शुल्क, निर्धारण समिति, बिहार, पटना को राज्य स्वास्थ्य समिति के भवन मे कार्यालय कक्ष आवंटित करते हुए कार्यालय को आवश्यक उपस्करों से सुसज्जित कर दिया गया है। कार्यालय संचालन के लिए अधिष्ठापित दूरभाष का विपत्र प्राप्त हुआ है। साथ ही माननीय के कार्यालय द्वारा समय--समय पर विभिन्न सामग्रियों यथा दुध, चाय तथा अन्य स्टेशनरी सामग्रियों की मांग की जाती है।

विदित हो कि उपर्युक्त प्रसंगाधीन पत्र में उल्लेखित है कि दूरभाष, फैक्स, आदि सुविधाओं पर होने वाले आवर्ती व्यय का वहन शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार, पटना द्वारा स्वंय किया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि उक्त व्यय का वहन कहाँ से किया जाएगा, इस संबंध में आवश्यक जानकारी से अवगत कराया जाय।

6/6/17
(प्रशासी पदाधिकारी)